न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क-40/2015</u> <u>संस्थित दिनांक-13.03.2015</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र चंदेरी	
जिला अशोकनगर।	अभियोजन

विरुद्ध

जयसिंह पुत्र मोतीलाल लोधी उम्र 47 साल निवासी कुंवरपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.

.....अभियुक्त

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 31.01.2018 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरुद्ध आयुद्ध अधिनियम की धारा—25 (1—बी) ए के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक—27.12.2014 को समय 15:40 बजे या उसके लगभग श्यामगढ गावं मोड तिराहा ग्राम प्राणपुर थाना चंदेरी में सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना किसी अनुज्ञप्ति के 315 बोर का एक देशी कट्टा व एक जिंदा 315 बोर का कारतूस रखे हुये पाये गये।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि उपनिरीक्षक राम सिंह राजौरिया को दिनांक 27.12.2014 को 15:00 बजे थाना चंदेरी पर जारी टेलीफोन से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सूचना दी कि ग्राम कुंवरपुर में जयसिहं पुत्र मोतीसिंह लोधी अपने पास अवैध रूप से एक 315 बोर का कट्टा लोडेड रखे हुये है और ग्राम प्राणपुर तिराहे पर कोई वारदात करने की नियत से खड़ा है, सूचना को सान्हा कमाक 1182/14 पर दर्ज कर सूचना से मौके पर उपलब्ध साक्षीगण नौशाद पुत्र गफूर खां व मोजुउददीन पुत्र ग्यासुददीन को पंचनामा बनाकर अवगत कराया, बाद सूचना की तस्दीक हेतु हमराह एएसआई आर एस पाल, प्रधान आरक्षक तेजिसहं व साक्षीगण नौशाद व मोजुददीन को मोटरसाईकिल से लेकर ग्राम प्राणपुर बताय गये स्थान पर पहुंचा, वहां पर जयसिंह लोधी मिला, स्वयं तलाशी के बाद जयसिंह की तलाशी ली गई, तो उसके पास से कमर में पेंट के नीचे तरफ एक 315 बोर का देशी कट्टा मिला, जो चैक करने पर उसमें चैंबर में एक जिंदा कारतूस 315 बोर का लगा मिला, जयसिंह से उसके संबंध में लाईसेंस मांगा, तो उसने न होना बताया। उक्त कृत्य धारा 25 बी आर्म्स एक्ट का पाया जाने से

(2)

मौके पर ही आर एस राजौरिया ने पंचान के कटटा व कारतूस अभियुक्त से साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श—पी—03 तैयार किया गया व आरोपी जयसिंह को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श—पी—04 तैयार किया गया। उपनिरीक्षक आर.एस. राजौरिया के पुलिस थाना चंदेरी में वापसी कर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक—539/14 अंतर्गत धारा 25 (1—बी) ए के तहत् प्रदर्श—पी—05 लेखबद्ध की गई। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 27.12.2014 को समय 15:40 बजे या उसके लगभग श्यामगढ गावं मोड तिराहा ग्राम प्राणपुर थाना चंदेरी में सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना किसी अनुज्ञप्ति के 315 बोर का एक देशी कट्टा व एक जिंदा 315 बोर का कारतूस रखे हुये पाये गये ?
- 2. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

05— अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में जप्ती एवं गिरफतारीकर्ता पुलिस अधिकारी उपनिरीक्षक आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—07) के कथनों सिहत जप्ती व गिरफतारी के साक्षी नौसाद (अ०सा०—01) व मोजुददीन (अ०सा०—02) एवं हमराह पुलिस साक्षी सहायक उपनिरीक्षक रघुवीर सिंह (अ०सा०—04) एवं प्रधान आरक्षक तेज सिंह (अ०सा०—05) के अतिरिक्त आर्म्स क्लर्क बसी आसिम (अ०सा०—05) व आर्म्स मोहर्रिर प्रधान आरक्षक कलेक्टर सिंह (अ०सा०—03) के कथन न्यायालय में कराये गये।

- 06— उपनिरीक्षक आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—07) का अपने न्यायालीन कथनो में कहना है कि दिनांक 27.12.2014 को उसे थाने पर 15:00 बजे के लगभग सूचना मिली थी, अभियुक्त श्यामगढ तिहाहे पर कट्टा लिये खडा है। उक्त सूचना की आमद रोजनामचा सान्हा में करके उसके द्वारा थाने पर उपस्थित साक्षी नौशाद (अ०सा0—01) व मोजुददीन (अ०सा0—02) को सूचना से अवगत कराया गया और इस बाबत् पंचनामा प्रदर्श—पी—03 तैयार किया गया, जिसके बाद वह हमराह साक्षी एवं सहायक उपनिरीक्षक रघुवीर सिंह (अ०सा0—04) व प्रधान आरक्षक तेजिसह (अ०सा0—06) के साथ सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर पहुचे, तो श्यामगढ तिराहे पर उन्हें अभियुक्त खडा मिला जिसे फोर्स की मदद से पकडा गया और अभियुक्त तलाशी लेने से पूर्व स्वयं उसके द्वारा अपनी तलाशी साक्षियों को दी गई और इस बाबत पंचनामा प्रदर्श—पी—4 साक्षी नौशाद (अ०सा0—01) व मोजुददीन (अ०सा0—02) के समक्ष तैयार किया गया तथा उसके पश्चात अभियुक्त की जामा तलाशी लेने पर अभियुक्त की बायें तरफ कमर में एक कट्टा खुर्सा हुआ मिला, जिसको रखने का लाईसेंस अभियुक्त के पास नही मिला था।
- 07— उपनिरीक्षक आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—07) ने अपने कथनों में यह भी स्पष्ट किया है कि उसने अभियुक्त से 15:40 बजे साक्षियों के समक्ष मौके पर ही कट्टा व राउण्ड जप्त कर उसे शीलबंद किया था तथा पंचनामा प्रदर्श—पी—1 बनाया था, तथा अभियुक्त को मौके पर गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श—पी—2 तैयार कर अभियुक्त को मय मुददेमाल थाने पर लाकर उसके विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमाक 539/14 अंतर्गत धारा 25/27 आयुद्ध अधिनियम का प्रकरण का पंजीबद्ध कर प्रदर्श—पी—08 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जिस पर भी इस साक्षी ने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है।
- 08— उपनिरीक्षक आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—०७) के द्वारा मुख्य परीक्षण में दिये गये कथन उसके प्रतिपरीक्षण में अखिण्डित रहे है, जिनमें कोई तात्विक विरोधाभास बचाव पक्ष उत्पन्न करने में सफल नही हुआ है। उपनिरीक्षक आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—०७) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—०८ में उल्लेखित ६ । टना से होती है। प्रकरण में मुखबिर की सूचना की आमद, थाने से रवानगी एवं वापसी के सान्हा की प्रमाणित की प्रति प्रदर्श—पी—९ व 10 प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई है, जिसे स्वयं आर.एस. राजौरिया

(अ0सा0-07) के द्वारा प्रमाणित किया गया है। उपरोक्त दस्तावेज एवं उनकी सत्यता को बचाव पक्ष की ओर से संपूर्ण प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नही दी गई है और न ही उसके खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है।

- 09— दिनांक 27.12.2014 को लगभग 03 बजे थाने पर मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर आर.एस. राजौरिया श्यामगढ तिराहे पर हमराह फोर्स व साक्षियों के साथ गया था, इस बात की पुष्टि घटना के हमराह साक्षी सहायक उपनिरीक्षक रष्ट पुवीर सिंह (अ0सा0—04) व प्रधान आरक्षक तेज सिंह (अ0सा0—06) ने भी अपने कथनों में की है। रघुवीर सिंह (अ0सा0—04) ने इस बात की पुष्टि की है कि दिनांक 27.12.2014 को मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर उपनिरीक्षक आर.एस. राजौरिया (अ0सा0—07) ने 03 बजे उसे प्राणपुर चलने के लिये कहा था, रघुवीर (अ0सा0—04) व तेज सिंह (अ0सा0—06) ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सूचना की तस्दीक के लिये वह लोग उपनिरीक्षक आर.एस. राजौरिया (अ0सा0—07) के साथ श्यामगढ तिराहे पर गये थे तथा साथ में साक्षी नौशाद (अ0सा0—07) व मोजुददीन (अ0सा0—02) भी गये थे।
- 10— नौशाद (अ०सा0—01) ने हांलांकि अपने न्यायलीन कथनों में अभियोजन ह ाटना एवं आर.एस. राजौरिया (अ०सा0—07) के द्वारा की गई कार्यवाही का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा अपने सामने कोई कार्यवाही न होना बताया है, परन्तु इस साक्षी ने मुखबिर की सूचना का पंचनामा प्रदर्श—पी—1, आर.एस. राजौरिया (अ०सा0—07) की तलाशी का पंचनामा प्रदर्श—पी—2, जप्ती प्रदर्श—पी—3 व गिरफतारी पत्रक प्रदर्श—पी—4 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है तथा इस साक्षी का कहना है उसने बस स्टेण्ड चंदेरी पर पुलिस के कहने पर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे।
- 11— मोजुददीन (अ०सा0—02) अपने न्यायालीन कथनो में अभियोजन घटना एवं उपनिरीक्षक आर.एस. राजौरिया (अ०सा0—07) के द्वारा की गई कार्यवाही का पूरी तरह से समर्थन नहीं करता है तथा इस साक्षी ने भी अभियोजन का इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है कि आर.एस. राजौरिया ने श्यामगढ तिराहे पर उसके सामने अभियुक्त की तलाशी में उसके अधिपत्य से 315 बोर का कट्टा व राउण्ड बरामद कर मौके पर जप्ती प्रदर्श—पी—3 व गिरफतारी प्रदर्श—पी—4 की कार्यवाही की थीं, परन्तु मोजुददीन (अ०सा0—02) ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि घटना से पूर्व वह थाने पर था तथा उसे किसी दरोगा ने किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिये प्राणपुर की तरफ चलने

को कहा था और वह उसके साथ प्राणपुर तरफ गया भी था, जहां पर प्राणुपर से थोडा आगे अभियुक्त जयसिंह को उस दरोगा ने पकड कर गाडी में बेठा लिया था और थाने ले आये थे।

- 12— अतः आर. एस. राजोरिया (अ०सा०—०७) घटना दिनांक २७.१२.२०१४ को दिन में ०३ बजे मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी और उक्त सूचना प्राप्ति के पश्चात् वह तस्दीक हेतु हमराह फोर्स रघुवीर (अ०सा०—०४) एवं प्रधान आरक्षक तेजिसह (अ०सा०—०६) सिहत मोजुददीन (अ०सा०—०२) व नौशाद (अ०सा०—०१) के साथ श्यामगढ तिराहे पर गया था, इस संबंध में आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—०७) के कथनों की पुष्टि हमराह साक्षी सहायक उपनिरीक्षक रघुवीर (अ०सा०—०४) व प्रधान आरक्षक तेजिसह (अ०सा०—०६) व मोजुददीन (अ०सा०—०२) के न्यायालीन कथनों के साथ साथ प्रकरण में प्रस्तुत सान्हा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श—पी—९ व 10 से होती है, जिसकी सत्यता प्रकरण में अखण्डित है।
- 13— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को 03 बजे मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर आर.एस. राजौरिया (अ0सा0—07) मय हमराह सहायक उपनिरीक्षक रघुवीर (अ0सा0—04) व प्रधान आरक्षक तेजिसंह (अ0सा0—06) व नौशाद (अ0सा0—01) व मोजुददीन (अ0सा0—02) के साथ श्यामगढ तिराहे पर सूचना की तस्दीक हेतु पहुचे थे जहां श्यामगढ तिराहे पर उन्हें अभियुक्त जयसिंह मिला था, जिसके अधिपत्य से 315 बोर का कट्टा व राउण्ड आर एस राजौरिय (अ0सा0—07) ने बरामद किया था।
- 14— आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—०७) का अपने कथनों में यह स्पष्ट कहना है कि उसने कटटे व राउण्ड को मौके पर ही विधिवत् जप्त कर साक्षियों के समक्ष शीलंबद किया था और जप्ती पंचनामा प्रदर्श—पी—01 तैयार किया था, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है तथा जप्ती पंचनामा प्रदर्श—पी—01की कार्यवाही का नौशाद (अ०सा०—01) व मोजुददीन (अ०सा0—02) ने भले ही समर्थन न किया हो परन्तु उक्त पत्रकों पर इन साक्षियों ने भी अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये है। प्रकरण में जप्ती पत्रक प्रदर्श—पी—01 पर कॉलम नंबर 13 में नमूना शील अंकित है तथा कट्टे व राउण्ड का पूर्ण विवरण भी अंकित है। उक्त जप्तशुदा कट्टा व राउण्ड उपनिरीक्षक आर.एस. राजौरिया (अ०सा0—07) के परीक्षण के दौरान तलब करने पर वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- 15— जप्तशुदा कट्टा व राउण्ड सफेद कपडे की थेली में शीलंबद अवस्था में प्राप्त हुआ तथा थेली से कट्टे व राउण्ड को निकालकर देखा गया, जिसमें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया राउण्ड के पैदें पर <u>8 MM KF</u> <u>0</u>1 लिखा पाया गया। जिसे आर्टिकल बी से चिन्हित किया गया व कट्टे का आर्टिकल ए चिहित किया गया। बचाव पक्ष के द्वारा मुख्य रूप से यह चुनौती दी गई है कि जप्ती पत्रक प्रदर्श—पी—01 में दर्शाया गया जप्तशुदा राउण्ड एवं आर्टिकल बी का राउण्ड व आर्म्स मोहर्रिर कलेक्टर सिंह (अ0सा0—03) के द्वारा जिस राउण्ड की जाचं की गई है, वह भिन्न—भिन्न है जिसके आधार पर प्रकरण में की गई जप्ती को चुनौती दी गई है। बचाव पक्ष की ओर से राउण्ड के पैंदे पर लिखे के क्रमाक को विशेष रूप से चुनौती देते हुये आर.एस. राजौरिया (अ0सा0—07) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—11 में प्रश्न किये गये है।
- 16— आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—०७) ने अपने कथनों में यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्रदर्श—पी—०१ पर राउण्ड के पैंदे पर <u>BMM KF</u> <u>D</u>1 लिखा है तथा आर्म्स मोहरिंर की रिपोर्ट प्रदर्श—पी—5 में राउण्ड के पैंदे पर लिखा क्रमांक <u>8 MM KF</u> <u>0</u>1 लेख है जो कि भिन्न है। इसी प्रकार आर्म्स मोहरिंर कलेक्टर सिंह (अ०सा०—०३) अपने न्यायालीन कथनों मे व्यक्त किया है कि उसे जांच हेतु कट्टा व राउण्ड शील हालत में प्राप्त हुआ था तथा जो राउण्ड उसे जांच हेतु प्राप्त हुआ था, उसके पैंदे पर के.एफ.8एम.एम लिखा था तथा <u>BMM KF</u> <u>D</u>1 नहीं लिखा था।
- 17— आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—०७) ने यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक पर जप्तशुदा राउण्ड के पैंदे पर लिखा कमाक <u>B MM KF</u> <u>D</u>1 अंकित है, जबिक आर्म्स मोहरिंर के द्वारा प्रदर्श—पी—5 में राउण्ड के पैंदे पर उल्लेखित कमाक <u>8 MM KF</u> <u>0</u>1 है, परन्तु मात्र उक्त आधार पर प्रकरण में जप्तीकर्ता अधिकारी की कार्यवाही को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि निश्चित रूप से प्रदर्श—पी—1 में राउण्ड के पैंदे में लिखा कमांक <u>B MM KF</u> <u>D</u>1 है तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राउण्ड आर्टिकल बी एवं आर्म्स मोहरिंर कलेक्टर सिंह (अ०सा०—०3) के द्वारा जांच किये गये राउण्ड के पैंदे पर <u>8 MM KF</u> <u>0</u>1 अंकित होना पाया गया है, जो यदि यह देखा जाये, तो भिन्न—भिन्न है, परन्तु प्रदर्श—पी—1 में पैंदे पर लिखे कमांक एवं आर्टिकल बी के पैंदे पर लिखे कमांक व प्रदर्श—पी—5 में राउण्ड के पैदें पर उल्लेखित कमांक को देखा जाये, तो उनके कमांक पूरी तरह से सामान है, मात्र प्रथम अक्षक

- 18— आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—०७) ने यह स्पष्ट किया है उसने मौके पर ही अभियुक्त से कट्टा व राउण्ड जप्त कर शीलंबद कर लिया था और प्रदर्श—पी—01 का जप्ती पत्रक तैयार किया था, जप्ती पत्रक में कट्टे का जो विवरण उल्लेखित है वही विवरण का कट्टा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिसे आर्टिकल ए से चिन्हित भी किया गया तथा आर्म्स मोहरिर कलेक्टर सिंह (अ०सा०—03) ने भी अपने मुख्य परीक्षण की कण्डिका—01 में जो कट्टे का विवरण बताया है वह आर्टिकल ए कट्टे के सामान ही जिसका अक्श प्रदर्श—पी—1 के जप्ती पत्रक पर भी उकेरा गया है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी तेजसिंह (अ०सा०—06) के द्वारा उक्त कट्टा व कारतूस जांच हेतु आर्म्स मोहरिर को उसके द्वारा भेजे जाने की पुष्टि की है तथा स्वयं आर्म्स मोहरिर कलेक्टर सिंह (अ०सा०—03) का अपने कथनों में यह स्पष्ट कहना है उसे जप्त शुदा कट्टा व राउण्ड शीलबंद हालत में प्राप्त हुआ था।
- 19— आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—०७) के द्वारा तैयार किये गये जप्तीपत्रक प्रदर्श—पी—01 पर विधिवत् नमूना शीलं अंकित की गई है तथा मौके पर कट्टा व राउण्ड शीलबंद किये जाने के कथनों की पुष्टि जप्ती पत्रक प्रदर्श—पी—1 सिहत स्वयं इस साक्षी के न्यायालीन कथनों से होती है जो कि अखण्डित है। जप्तशुदा कट्टा व राउण्ड आर्म्स मोहरिंर कलेक्टर सिंह (अ०सा०—०३) को शीलंबद हालत में प्राप्त हुआ, इसकी पुष्टि इस साक्षी ने अपने कथनों में की है तथा इस बात पर लेषमात्र भी संदेह नहीं रह जाता है कि आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—०७) के द्वारा मौके से अभियुक्त से जप्त किया गया, कट्टा व कारतूस आर्टिकल ए एवं बी कारतूस है और उसी का उल्लेख जप्तीपत्रक प्रदर्श—पी—1 में आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—०७) के द्वारा किया गया है।
- 20— हालांकि हमराह साक्षी नौशाद (अ०सा0—01) व मोजुददीन (अ०सा0—02) ने पूरी तरह से अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया तथा बचाव पक्ष की ओर से इस बात को विशेष रूप से चुनौती दी गई है कि घटना में स्वतंत्र साक्षियों को

जप्ती व गिरफ्तारी का साक्षी नहीं बनाया गया, जबिक घटना दिनांक को शिनवार था और हाट का समय था तथा घटना स्थल के आस—पास दुकानें भी थीं। आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—०७) सिहत रघुवीर (अ०सा०—०४) ने यह स्वीकार किया है कि जप्ती व गिरफ्तारी के दोनों ही साक्षी नगर रक्षा सिमित के सदस्य है, जो थाने से ही साथ में गये थे तथा साक्षियों ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को शिनवार होकर हाट का समय था और घटना स्थल के आस—पास दुकानें भी थी, जिससे आस—पास के लोगों को गवाह नहीं बनाया गया।

- 21— इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि मात्र स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने अथवा जप्ती व गिरफ्तारी का साक्षी स्वतंत्र साक्षी न बनाया जाना किसी पुलिसकर्मी के द्वारा की गई कार्यवाही को संदेह की दृष्टि से देखा जाने का एक मात्र आधार नहीं हो सकता है। कोई स्वतंत्र व्यक्ति आज के परिवेश में पुलिस की स्वतः मदद करने के लिये या किसी प्रकरण का साक्षी बनने के लिये तत्पर्य नहीं रहता है तथा ऐसी घटना तत्काल ही सूचना प्राप्त हुई हो वहां, पुलिस कर्मी की प्राथमिकता अभियुक्त को पकड़ने की होती है न कि स्वतंत्र साक्षियों को तलाश करने की। इस संबंध में स्वयं नौशाद (अ0सा0—01) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—4 में दिये गये कथन संपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते है जिसमें यह साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने कई लोगों से उसके हस्ताक्षर करने से पहले हस्ताक्षर कराने का प्रयास किया था परन्तु किसी ने हस्ताक्षर नहीं किये।
- 22— अतः स्पष्ट है कि आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—07) के द्वारा थाने पर उपलब्ध नोशाद (अ०सा0—01) व मोजुददीन (अ०सा0—02) को अपने साथ लेकर मौके का साक्षी इसी कारण से बनाये गये। मोजुददीन (अ०सा0—02) के कथनों से भले ही आर.एस. राजौरिया (अ०सा0—07) के द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही का समर्थन न होता हो तथा इस साक्षी ने अभियोजन के विरुद्ध कथन भी न्यायालय में दिये है, परन्तु इस साक्षी ने आर.एस. राजौरिया (अ०सा0—07) के इन कथनों की पुष्टि अवश्य की है कि घटना दिनांक को सूचना प्राप्त होने के बाद आर.एस. राजौरिया (अ०सा0—07) सूचना की तस्दीक के लिये प्राणपुर पहुचे थे और वहां से उसने आरोपी जय सिंह को पकडा था।
- 23— हमराह साक्षी रघुवीर सिंह (अ०सा०–०४) व तेजसिंह (अ०सा०–०६) ने अपने संपूर्ण प्रतिपरीक्षण में आर.एस. राजौरिया (अ०सा०–०७) के द्वारा की गई

कार्यवाही का समर्थन करते हुये विरोधाभास रहित साक्ष्य न्यायालय में दी है। हालांकि यह साक्षी अभियुक्त के द्वारा पहने गये कपड़ों का रंग न्यायालय में नहीं बता सके परन्तु किसी भी व्यक्ति के लिये विशेष कर पुलिस कर्मी के लिये यह संभव नहीं है कि वह घटना के इतने समय के बाद अभियुक्त के द्वारा पहने गये कपड़ों का रंग बता सके। घटना की सूचना प्राप्त होने पर वह आर.एस. राजौरिया (अ०सा०–०७) के साथ श्यामगढ़ तिराहे पर पहुंचे थे और वहां पर अभियुक्त को पकड़ कर उसके अधिपत्य से कट्टा व कारतूस बरामद किया गया था और मौके पर ही जप्ती पत्रक प्रदर्श—पी—01 तैयार किया गया था, इस संबंध में इन साक्षियों की साक्ष्य अखण्डित है मौके पर कटटे व कारतूस को शीलंबद किया गया और उसे अनुसंधानकर्ता अधिकारी तेज सिंह अ सा 6 के सुपुर्द किया गया यह भी अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य प्रमाणित है।

- 24— अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—07) के द्व ारा तैयार किया गया सूचना का पंचनामा प्रदर्श—पी—3 स्वयं की तलाशी का पंचनामा प्रदर्श—पी—4 एवं सूचना की आमद, थाने रवानगी एवं वापसी के संबंध में रोजनामचा सान्हा में की गई प्रविष्टि को प्रमाणित करने के लिये रोजनामचा सान्हा कि स्वयं आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—07) के द्वारा प्रमाणित की गई नकल प्रदर्श—पी—9 व 10 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। उपनिरीक्षक आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—07) ने प्रदर्श—पी—3, 4, 9 व 10 पर अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि भी अपने कथनो में की हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त पत्रक आर.एस. राजौरिया (अ०सा0—07) के द्वारा तैयार किये गये।
- 25— आर्म्स मोहरिंर कलेक्टर सिंह (अ०सा०—०3) ने अपने कथनों से विधिवत् जांच उपरांत तैयार किये गये प्रतिवेदन प्रदर्श—पी—5 को प्रमाणित किया है तथा आर्म्स क्लर्क बसी आसिम कुरेंशी (अ०सा०—०5) के कथनों से यह प्रमाणित होता है कि प्रदर्श—पी—6 का अभियोजन स्वीकृति आदेश तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के द्वारा विधिवत् केस डायरी व जप्त शुदा कट्टे व कारतूस का अवलोकन करने के उपरांत दिया गया।
- 26— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से एवं प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उपनिरीक्षक आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—०७) के द्वारा की गई कार्यवाही एवं न्यायालय में दिये गये कथनों पर संदेह करने का कोई विशेष आधार नही है तथा इस साक्षी की साक्ष्य को मात्र इस आधार पर नहीं नकारा जा सकता है कि वह एक पुलिस कर्मी है या उसकी साक्ष्य का स्वतंत्र साक्षियों ने कोई

समर्थन नहीं किया। बचाव पक्ष की ओर से आर.एस. राजौरिया (अ०सा0-07) के द्वारा की गई कार्यवाही को मुख्य आधार पर इस बात पर चुनौती दी गई है कि अभियुक्त जयसिंह का पुत्र भरत घटना के समय एक अन्य अपराध क्रमांक 93 / 14 अंतर्गत धारा 454, 380 में फरार था, जिसे पकड़ने का दबाव बनाने के लिये दिनांक 18.12.2014 से अभियुक्त को थाने पर लाकर बैटा लिया था और लड़के के उपस्थित न होने पर अभियुक्त के विरुद्ध यह झूटा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

- 27— बचाव पक्ष की ओर से अपने समर्थन में अभियुक्त के पुत्र भरत के संबंध में प्रकरण कमांक 93 / 14 में प्रधान आरक्षक तेजिसंह (अ0सा0—06) के द्वारा तैयार किये फरारी पंचनामा दिनांक 29.05.2014 व 07.07.2014 की सत्यप्रतिलिपि सिंहत उक्त प्रकरण के अभियोग पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत की गई तथा प्रधान आरक्षक तेजिसंह (अ0सा0—06) ने उक्त पंचनामा बनाना स्वीकार किया है, वह तेजिसंह (अ0सा0—06) व आर.एस. राजौरिया (अ0सा0—07) ने अपने कथनों में यह भी स्वीकार किया है कि अपराध क्रमांक 93 / 14 में घटना के समय अभियुक्त का पुत्र भरत फरार था, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि मात्र अभियुक्त के पुत्र पर अन्य अपराध दर्ज होने या उसके इस घटना के समय फरार होने का आधार इस बात का निश्चायक प्रमाण नहीं हो सकता है कि प्रकरण में जयसिंह को झूटा फंसाया गया है।
- 28— अभियुक्त जयसिंह को पुलिस के द्वारा इस घटना से पूर्व 8 दिन तक थाने पर बंद रख कर कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है, मात्र अभियुक्त के पुत्र की अन्य प्रकरण में फरारी को उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाये जाने का युक्तियुक्त आधार एंव निश्चायक प्रमाण नहीं माना जा सकता है। यह प्रकरण इस प्रकरण में अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निराकृत किया जाना है, जिसके संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध घटना घटित करने के संबंध में इस संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध है तथा आर.एस. राजौरिया (अ०सा0—07) के द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही उसके व अन्य साक्षियों की मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। जिस पर संदेह करने का कोई विश्वसनीय कारण अभिलेख पर नहीं है।
- 29— बचाव पक्ष की ओर से अपने समर्थन में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत खिलन बनाम मध्यप्रदेश राज्य 2010 1 एम पी डब्ल्यू एन 102, में प्रतिपादित विधि का आबंलबन लिया गया है जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा

अग्नायुध को उचित रूप से शीलंबद न किया जाना प्रमाणित होने के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्ति का पात्र माना था तथा साथ ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत खिलन बनाम मध्यप्रदेश राज्य 2010 (1) M.P.W.N. (102), लखन बनाम मध्यप्रदेश राज्य 2010 (1) M.P.W.N. (38) में प्रतिपादित विधि का आबलंबन लिया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में यह निर्धारित किया है कि अभिग्रहण अधिकारी के द्वारा स्वयं अपराध पंजीबद्ध किया और स्वयं ही अंवेक्षण किया इसलिए संपूर्ण अंवेक्षण अवैध होना माना गया।

- 30— बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित विधि वर्तमान प्रकरण एंव तथ्य एवं परिस्थितियों पर लागू नही होती है, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में अभिग्रहण अधिकारी आर. एस. राजौरिया (अ०सा०—07) के द्वारा प्रकरण की विवेचना न की जाकर प्रधान आरक्षक तेज सिंह (अ०सा०—06) के द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई है। वहीं प्रकरण में आर.एस. राजौरिया (अ०सा०—07) के द्वारा प्रकरण में अभियुक्त से जप्त किया गया अग्नायुध विधिवत् मौके पर ही जप्त कर शीलबंद किया जाना एवं उसमें किसी भी प्रकार की छेडछाड न होना अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित है। अतः बचाव पक्ष को उपरोक्त न्यायदृष्टातों में प्रतिपादित विधि से इस प्रकरण में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 31— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि अभियुक्त जयसिंह ने दिनांक 27.12.2014 को समय 15:40 बजे या उसके लगभग श्यामगढ गावं मोड तिराहा ग्राम प्राणपुर थाना चंदेरी में सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना किसी अनुज्ञप्ति के 315 बोर का एक देशी कट्टा व एक जिंदा 315 बोर का कारतूस रखे हुये पाये गये।
- 32— फलस्वरूप अभियुक्त जयसिंह पुत्र मोतीलाल लोधी को आयुद्ध अधिनियम की धारा— 25 (1—B) A के आरोप प्रमाणित होने से अभियुक्त जयसिंह पुत्र मोतीलाल लोधी को आयुद्ध अधिनियम की धारा—25 (1—B) A के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।
- 33— अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित

(12)

प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थिगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 34— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा अभियुक्त प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है, इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये। अभियुक्त पर सिद्ध हुये अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों को देखते हुये। अभियुक्त जयसिंह पुत्र मोतीलाल लोधी को आयुद्ध अधिनियम की धारा 25 (1–B) A के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में 1 वर्ष (एक वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 1000 / रूपये (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस (पन्द्रह दिवस) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 35— अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। अभियुक्त का धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा कट्टा व कारतूस बाद मियाद अपील, अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी को विधिवत् निराकरण के लिये भेजा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)